(10) 53

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1780–पीबीआर/2013, विरूद्ध आदेश दिनांक 20–03–2013 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा प्रकरण कमांक 411/अपील/2012–13

.....

नूर मोहम्मद खान पुत्र श्री गौस मोहम्मद खान
निवासी–गॉधी चौक, गंजबासौदा
जिला–विदिशा

..... आवेदक

विरूद्ध

1– सचिव मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग, वल्लभ भवन
भोपाल (म0प्र0)

2– कलेक्टर, जिला–विदिशा (म0प्र0)

3– तहसीलदार जिला–विदिशा (म0प्र0)

4– नजूल ऑफिसर, जिला–विदिशा (म0प्र0)

5– नगर पालिका ऑफिसर, जिला–विदिशा (म0प्र0)

6– आशिक मोहम्मद पुत्र स्व0 श्री गौस मोहम्मद खान
निवासी–मकान नं0 3, मोती क्वाटर,
छप्पन क्वाटर के पास, टीला जमालपुरा,
भोपाल (म0प्र0)

..... अनावेदकगण

.....

श्री आर0के0 उपाध्याय, अभिभाषक, आवेदक
श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा, पेनल अभिभाषक, अनावेदकगण
श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदक क्रं0 6

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/9/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–03–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि, ग्राम स्वरूप नगर स्थित आराजी क्रं0 42 रकबा 0.742 हैक्टयर भूमि पर संहिता की धारा 248 के अन्तर्गत अतिक्रमण पाए जाने पर तहसीलदार नें अपने आदेश दिनांक 06.09.2012 द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए आदेश दिये । उक्त पारित आदेश दिनांक 06.09.2012 से दुखी होकर आवेदक द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी बासौदा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, अपील प्रकरण क्रं0 16/अपील/2012–13 पर पंजीबद्ध होकर विचारण में ली गई और न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी बासौदा ने प्रारंभिक सुनवाई में ही आदेश पारित कर दिनांक 09.11.2012 से अपील खारिज कर दिया । न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी बासौदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.11.2012 से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा द्वितीय अपील न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष पेश की गई, जो प्रकरण क्रमांक 411/अपील/2012–13 पर पंजीबद्ध होकर संज्ञान में लिया गया और न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा दिनांक 20.03.2013 से आवेदक की अपील को यह कहते हुये निरस्त कर दिया गया कि, अपील अवधि बाह्य है । न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.03.2013 से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रक्रिया का घोर उल्लंघन करते हुए अपने अधिकारिता के बाहर जाकर विधी एवं विधान के विपरीत आदेश पारित किये है जो कदापि स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । अधीनस्थ न्यायालयों ने राजनैतिक विद्वेष से प्रभावित होकर अभिलेख के विपरीत भू–माफिया और असरदार व्यक्तियों के प्रभाव में आकर विधी विधान और प्रक्रिया को ताक पर रखकर जानबूझकर आवेदक को मानसिक, एवं आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने के उद्देश्य से अवैधानिक कार्यवाही की है जो अधीनस्थ न्यायालयों के इस अवैधानिक

कृत्य से आमजन का कानून और न्याय व्यवस्था से विश्वास उठ जायेगा । अधीनस्थ न्यायालयों ने इस बात पर भी गौर नहीं किया कि आवेदक स्पष्ट रूप से अपने आप को मकान का स्वामी होने से इंकार कर रहा और अनावेदक क्रं0 6 आशिक मोहम्मद को मालिक काबिज मय दस्तावेजों के बताया है कि मकान मालिक आशिक मोहम्मद है, आवेदक नूर मोहम्मद नहीं । फिर भी आवेदक पर रुपये 4,95,00/– का अर्थदण्ड अभिरोपित कर सिविल जेल भेजने हेतु आदेश पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालयों ने अपने अधिकारिता का प्रयोग करने में अविधिपूर्ण और सारवान अनियमित्तायें की हैं । अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यशैली प्रथम दृष्टया भेदभाव पूर्ण और एक तरफा कार्यवाही की ओर इंगित करती है । यदि इस प्रकार की निरंकुश कार्यवाहियों पर गंभीरता पूर्वक कोई अंकुश नहीं लगाया गया तो सामान्य नागंरिकों की संपत्ति निरंकुश शासकों और दबंग लोगों के हाथों में होकर जंगल राज का बोलबाला हो जावेगा । इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालयों को साक्ष्य लेकर निर्णय पारित करना था । किन्तु अधीनस्थ न्यायालयों ने ऐसा न कर आदेश पारित करने की भूल की है । अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो इस संहिता में निहित नहीं की, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 248 के प्रावधानों से हटकर अर्थदण्ड अधिरोपित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने वैधानिक प्रक्रिया के विपरीत दुर्भावना पूर्ण अवैध कार्यवाही की है । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यदि प्रबृत रहता है तो न्याय की विफलता होगी आमजन को भय कारित होगा, आवेदक को अपूर्णनीय क्षति होगी । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क में यह भी बताया गया है कि, अधीनस्थ न्यायालय ने संहिता की धारा 248 के प्रत्येक बिन्दु की अनदेखी की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 248 में वर्णित अतिक्रमण को एक माह का सूचना पत्र देना आवश्यक है । प्रकरण में वास्तविक सुनवाई 06.09.2012 से प्रारंभ हुई और 10.09.2012 को प्रकरण समाप्त होकर 12.09.2012 को जिलाध्यक्ष विदिशा को प्रतिवेदन भी प्रेषित कर दिया गया । जिस स्थान पर आवेदक को अतिक्रामक बताया जा रहा है वह स्थान गंजबासौदा रेल्वे स्टेशन से डेढ़–दो सौ फिट की दूरी पर है । यह बसाहट लगभग 100 वर्ष पुरानी है । अनावेदक क्र0 6 आशिक मोहम्मद के पूर्वजों का वर्ष 1947 में पक्का तीन मंजिला मकान बना था और यह विदित कराना भी आवश्यक है कि इस स्थान के आस–पास 500–600 लोग निवास कर रहे है । प्रकरण में प्रस्तुत प्रत्येक दस्तावेजों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रकरण में कितनी घोर अनदेखी की गई और कितनी अनियमितायें बरती गयी । आदेश पारित कर अनावेदक क्रं0 6 आशिक मोहम्मद को संपत्ति

से बेदखल कर शासन के ताले डाले गये और मुस्लिम समाज पर नाम चंद मौका परस्त और भू माफिया से मिले लोगों को चंद मिन्टों में आधिपत्य प्रदान किया । कथित मुस्लिम समाज के लोगों ने न कोई दस्तावेज पेश किये और न ही कोई साक्ष्य दी । आवेदक के विरूद्ध किन आधारों पर अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण पत्रिका में ऐसा एक भी शासकीय दस्तावेज संलग्न नहीं है जो यह दर्शित करता हो कि आवेदक प्रश्नाधीन भूमि पर अतिक्रामक है । अंत में आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदकगणों के अभिभाषकों द्वारा अपने तर्कों में अपर आयुक्त के आदेश को विधिअनुकूल बताते हुये उसे स्थिर रखे जाने का निवेदन कर अभिलेख के आधार पर विधिवत आदेश पारित करते हुये निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेशों सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 09.11.2012 आवेदक की उपस्थिति में पारित किया गया है । आवेदक ने समयावधि में अपर आयुक्त को अपील पेश करते हुये विलम्ब के जो करंण बताए गए उन्हें अपर आयुक्त ने मान्य नहीं किया । इस न्यायालय में आवेदक ने पत्नी की बीमारी के चिकित्सक के पर्चों की छायाप्रतियां पेश की है । उनको देखते हुए अपर आयुक्त के समक्ष उनकी अपील को समयावधि में मान्य किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है । वैसे भी आवेदक की प्रथम अपील का निराकरण भी गुणदोषों पर नहीं हुआ है । ऐसी स्थिति में निगरानी स्वीकार करते हुए प्रकरण अपर आयुक्त को इन निर्देशों के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह आवेदक की अपील समयावधि में ग्राह्य कर उसका निराकरण गुणदोषों पर करें।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर